दिनांक– 10/05/2022 को जिलाधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

1. अ – उपस्थिति – संलग्नक परिशिष्ट – क

ब. स्थान–कलक्ट्रेट सभागार पिथौरागढ़, समय–12:00 बजे अपरान्ह

सर्वप्रथम महाप्रबन्धक/सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सदन में उपस्थित सदस्यों व उद्यमियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एजेण्डानुरूप निम्नवत बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. **विगत बैठक दिनांक–25/11/2021 के अनुपालन की पुष्टिः–**

सदस्य सचिव द्वारा पूर्व बैठक दिनांक –25/11/2021 के क्रम में महाप्रबन्धक द्वारा अनुपालन के सम्बंध में की गई कार्यवाही को सदन के सम्मुख बिन्दुवार पढ़कर सुनाया गया।

3. **एम0एस0एम0ई0 2015 के दावों की स्वीकृति पर विचारः–**

(क) 10% ब्याज उपादानः–

सर्वप्रथम 10 प्रतिशत ब्याज उपादान के प्राप्त 20 दावें प्रस्तुत किए गए जिसमें अध्यक्ष महोदय, ने निर्देशित किया कि उद्यमी द्वारा सावधि ऋण पर देय ब्याज उपादान राशि पर ही 10 प्रतिशत उपादान अनुमन्य होना चाहिए, जिसके क्रम में अध्यक्ष महोदय, को सादर अवगत कराया गया कि नियमावली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ब्याज प्रोत्साहन सहायता योजना–2015 के पैरा संख्या 05 के खण्ड–06 में दर्शाया गया है कि ब्याज उपादान सहायता केवल समान्य ब्याज दर के सापेक्ष देय होगी। जिसके उपरान्त महोदय, द्वारा सुझाव दिया गया कि एम0एस0एम0ई0 नीति 2015 के ब्याज उपादान नीति में संशोधन की आवश्यकता है।

(ख) "40%" राज्य पूंजी उपादानः–

बैठक में, मै0 स्पर्श वैलनेस योगा सेण्टर, के 40 प्रतिशत दावा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष महोदय, ने इकाई द्वारा आवेदित धनराशि के सापेक्ष मात्र 09 लाख रूपये की धनराशि पर ही राज्य पूंजी उपादान की गणना किए जाने पर संदेह व्यक्त किया गया। इस पर सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई ने संयंत्र मशीनरी मद में रू0 3,56,176 तथा भवन मद में 21,33,803 कुल रू0 24,89,979 का दावा उपादान हेतु प्रस्तुत किया है, जिसके सापेक्ष उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्याा–184/7–2–15/146एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 31 जनवरी 2015 में उल्लेखित प्राविधानुसार कुल रू0 903962 को उपादान हेतु गणना योग्य पाया गया, जिसका 40 प्रतिशत 361584 के उपादान की संस्तुती की गई है।

(ग) "100%"विद्युत प्रतिपूर्ति सहायताः–

अध्यक्ष महोदय, द्वारा निर्देश दिए गए कि विद्युत उपादान के दावों का आकलन/गणना अगली बैठक में सेल्स रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा, जिससे तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके कि बिजली खपत के सापेक्ष कितना उत्पादन किया गया और कितनी सेल की गई, जिससे बिजली चोरी जैसी घटनाओं पर नजर रखी जा सके।

कार्यवाही– जिला उद्योग केन्द्र

अन्त में बैठक में उपस्थित सदस्यों व उद्यमियों से उनकी समस्याओं एवं प्रस्तावों से अवगत होने के उपरान्त सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक का समापन किया गया।

सदस्य/सचिव
जिला उद्योग मित्र समिति पिथौरागढ़।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला उद्योग मित्र समिति पिथौरागढ़।